Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 6 | ISSN : 2581- 6306

भ्रष्टाचार

मदन कुमार वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर उपाधि (पी.जी.) महाविद्यालय, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 4, Issue 6
Page Number : 39-43

Publication Issue :
November-December-2021
Article History
Accepted : 05 Nov 2021
Published : 30 Nov 2021

सारांश– भ्रष्टाचार उन्मूलन के अन्य उपायों में संचार माध्यमों द्वारा प्रचार–प्रसार, सामूहिक गोष्ठियां, जन सम्मेलन, वृतचित्र फिल्म समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि ऐसे कारगर उपाय हैं जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। भ्रष्टाचार देश–प्रेम भाव एवं नैतिक मूल्यों की जागृति के साथ–साथ धीरे–धीरे समाप्त होगा अब भारत में इस दिशा में शुरूआत हो गई है क्योंकि वर्तमान केन्द्र सरकार पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास कर रही है।

मुख्य शब्द – रिश्वत, घोटाला, मनोबल, नैतिकता, कानून का शासन, कल्याणकारी राज्य, दंड, परमिट युग आदि

भ्रष्टाचार का अर्थ :– भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट अथवा बिगड़ा हुआ आचरण। लोक प्रशासन में इसका अभिप्राय ऐसे आचरण से है जिसकी आशा लोकसेवकों से नहीं की जाती है यदि लोक प्रशासक अपनी शक्ति, सत्ता एवं स्थिति का प्रयोग जन सामान्य के लाभों की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करने लगे तो यही भ्रष्ट आचरण माना जायेगा। भ्रष्टाचार की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 161 में इस प्रकार की गयी है ''जो व्यक्ति शासकीय कर्मचारी होते हुए या होने की आशा में अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए विधिक पारिश्रमिक से अधिक होई घूस लेता है या स्वीकार करता है.....तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास का दंड या अर्थ दंड या दोनों दिये जा सकेंगे।

संक्षेप में भ्रष्टाचार को तात्पर्य है किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने सार्वजनिक पद अथवा स्थिति का दुरूपयोग करते हुए किसी प्रकार का आर्थिक या अन्य प्रकार का लाभ उठाना यह ऐसा व्यवहार है जिसमें सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत आर्थिक लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक कर्तव्यों से विचलित होता है।

भ्रष्टाचार का अर्थ दो रूपों संकीर्ण एवं व्यापक अर्थों में किया जाता है। संकीर्ण रूप में इसका अर्थ केवल घूस अथवा आर्थिक लाभ प्राप्त करना माना जाता हैं। भ्रष्टाचार के व्यापक रूप में अपने निजी स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक पद अथवा सत्ता का दुरूपयोग करते हुए नगद धनराशि अथवा

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

भेटों व उपहारों के रूप में सब प्रकार की बेईमानी से प्राप्त लाभों का समावेश होता है। लोक प्रशासन मे इस शब्द का प्रयोग इसी व्यापक अर्थ में किया जाता है।

भारत में भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में सदैव विद्यमान रहा है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 40 प्रकार के भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। कौटिल्य के शब्दों में **'जिस प्रकार जीभ पर रखे हुए शहद का स्वाद न लेना असंभव है उसी प्रकार किसी शासकीय अधिकारी के लिए राज्य के राजस्व के एक अंश का भक्षण न करना असंभव है।**

प्राचीन एवं मध्यकाल में लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत सीमित था फलस्वरूप भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम थी वर्तमान युग में लोक प्रशासन के क्षेत्र का विलक्षण विकास होने के कारण भ्रष्टाचार की मात्रा में वृद्धि हुई। भारत में ईस्ट–इण्डिया कम्पनी के शासन काल से ही भ्रष्टाचार देश में सर्वत्र फैल गया। ईस्ट इंण्डिया कम्पनी के व्यापारी जो उस समय प्रशासक भी थे सम्पत्ति जोड़ने पर उतारू थे। फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारत का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया लगभग 150 वर्षो के शासन में अंग्रेजों ने भारत में एक श्रेष्ठ प्रशासनिक तन्त्र की स्थापना की, लेकिन ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में राजस्व, पुलिस एवं आबकारी विभागों में व्यापक स्वविवेकी शक्तियाँ प्राप्त थी जिससे उनके भ्रष्ट होने की पर्याप्त गुंजाइश थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान एवं भारत के विभाजन के पश्चात् काफी भ्रष्टाचार पनपा। क्योंकि विभाजन से 'कानून का शासन' खंडित हुआ तथा लोक सेवकों में भ्रष्टाचार के लिए नवीन मार्ग खुल गये।

स्वाधीन भारत में कल्याणकारी एवं समाजवादी राज्य का आदर्श अपनाया गया। जिससे राज्य के कार्यो में असाधारण वृद्धि हुई। खासतौर से आर्थिक क्षेत्र में राज्य के कार्यो में वृद्धि होने से नियम, नियंत्रण, लाइसेंस एवं परमिट युग का प्रारम्भ हुआ जिससे भ्रष्टाचार के नये आयाम प्रकट हुए। स्वतन्त्र भारत का पहला घोटाला सन् 1948 का जीप घोटाला था जिसमें बिट्रेन स्थित भारतीय उच्चायुक्त श्री कृष्णा मेनन ने भारतीय सेना के लिए 375 जीपें बाजार भाव से दो गुने पर खरीदी और इस सौदे में लाखों का कमीशन खाया। अमर शहीद लाला जगत नारायण ने जब प्रताप सिंह कैरों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें पंडित नेहरू के कोपभाजन का शिकार होना पड़ा। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद मुम्बई में कांग्रेस के अधिवेशन में यह रहस्योद्घाटन किया था कि यदि सरकार विकास के लिए एक रूपया मंजूर करती है तो उसमें से केवल 10 पैसा ही विकास योजनाओं पर खर्च हो पाते हैं और 90 पैसा भ्रष्टाचारी हड़प जाते हैं आज तो स्थिति इससे भी बदतर है एक अनुमान के अनुसार देश में आजादी प्राप्त होने से अब तक लगभग 55810 करोड़ रूपये के घोटालें हो चुके हैं अगर ये घोटाले न होते तो आज भारत के प्रत्येक व्यक्ति के आय में 558 रूप्ये का इजाफा होता है।

कुछ प्रमुख घोटाले निम्न है –

- प्रतिभूति घोटाला (हर्षद मेहता) 1992 में 40,000 करोड़
- पं0 बंगाल वक्फ भूमि घोटाला 1991 में 1100 करोड़
- चीनी घोटाला 1994 में 1200 करोड़
- यू.टी.आई. घोटाला 2001 में 1200 करोड़
- शेयर घोटाला 2001 में 130 करोड़
- स्टाम्प पेपर घोटाला 2003
- व्यापम घोटाला
- कामनवेल्थ खेल घोटाला 2010 में 70,000 करोड़
- कोयला खदान घोटाला (1.86 लाख करोड़)
- 3–जी स्पैक्ट्रम घोटाला

इस प्रकार भारत में घोटालों की कमी नहीं है यही कारण है कि भारत वैश्विक भ्रष्टाचार के सूचकांक में 80वें स्थान पर है पर बी.जे.पी. सरकार के कार्यकाल में घोटाले नहीं हुए जैसा कि हमारे गृहमंत्री ने कहा था फिक्की की पिछली बैठक में कि प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार प्रदान किया है। गृहमत्री का यह दावा एक हद तक सही है। प्रश्न उठता है कि ये घोटाले क्यों हुए। वास्तव में इसके एक नहीं अनेक कारण है–

- भ्रष्टाचार–बिट्रिश विरासत
- युद्धकालीन अभाव तथा नियंत्रण
- प्रशासन का विस्तार
- नैतिक मूल्यों का ह्रास
- वेतनों में विषमता
- लाल फीताशाही
- निर्वाचन में पार्टी फंड
- औद्योगिक एवं व्यापारी वर्ग

भ्रष्टाचार उन्मूलन के उपाय :– भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सरकारों की आत्म चिंता उसके उन्मूल की है जिसे पूरा करने के लिए वह निम्नलिखित उपायों का सहारा लेता है।

1. सांविधिक उपाय
2. सरचनात्मक उपाय
3. व्यवस्था सम्बन्धी उपाय
4. जन–जागृति सम्बन्धी उपाय एव
5. अन्य

सांविधिक उपायों से तात्पर्य सरकार द्वारा विधिमान्य ऐसे नियमों विनियमों की स्थापना करना है जो प्रशासन में सच्चरित्रता लाते हैं इस हेतु भारत सरकार ने कुछ विशिष्ट सेवाओं एवं सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित नियमावलियां तैयार की है जैसे अखिल भारतीय सेवा नियमावली (आचरण) 1954

भ्रष्टाचार दूर करने सम्बन्धी संरचनात्मक प्रावधानों की व्यवस्था मुख्य रूप से भारत का गृह मंत्रालय करता है यह मंत्रालय अपने विभिन्न संगठनों की सहायता से लोक सेवकों में अच्छे आचरण को लागू करने तथा कुप्रबंध को दूर करने का कार्य करता है इस मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित संगठन ऐसे है जो भ्रष्टाचार को दूर करते हैं।

1. केन्द्रीय सर्तकता आयोग (1998)
2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (1963)
3. लोकपाल/लोकायुक्त (1966)
4. न्यायपालिका संगठन

व्यवस्था सम्बन्धी उपाय के अन्तर्गत लोकसेवाओ में उच्च मनोबल, स्वच्छ छवि वाले एवं

अच्छे आचरण वाले कामिकों की भर्ती करनी चाहिए तथा उन्हें नैतिकता सम्बन्धी पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाय ताकि उनमें नैतिक मूल्यों के प्रति समझ उत्पन्न हो ताकि वे कार्य के नाम पर सुविधा शुल्क इत्यादि न ले।

वास्तव में जन जागृति स्वयं के जागने से उत्पन्न होगी क्योंकि हम लोगों को आगे लाने के बजाय खुद निर्धारण करना होगा कि हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को नहीं पनपते देंगे। इस तरह के अनौपचारिक उपाय भ्रष्टाचार उन्मूलन में अति सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

भ्रष्टाचार उन्मूलन के अन्य उपायों में संचार माध्यमों द्वारा प्रचार–प्रसार, सामूहिक गोष्ठियां, जन सम्मेलन, वृतचित्र फिल्म समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि ऐसे कारगर उपाय हैं जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है।

संक्षेप में ऐसी कोई कारगर विधि नहीं जिससे तुरंत भ्रष्टाचार पर काबू पा लिया जाये वास्तव में भ्रष्टाचार देश–प्रेम भाव एवं नैतिक मूल्यों की जागृति के साथ–साथ धीरे–धीरे समाप्त होगा अब भारत में इस दिशा में शुरूआत हो गई है क्योंकि वर्तमान केन्द्र सरकार पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास कर रही है।

सन्दर्भ

1. लोक प्रशासन – फाडिया डा0 बी0एल0
2. लोक प्रशासन के तत्व – सिंहल डा0 एस0सी0
3. लोक प्रशासन – जैन डा0 पुखराज
4. भारतीय सरकार एवं राजनीति – त्रिवेदी डा0 आर0एन0 राय डा0 एम0पी0
5. अन्य पत्र–पत्रिकाएं